



विद्यान्त हिन्दू पी. जी. कॉलेज

(स्थापित 1954)

(लखनऊ विश्वविद्यालय)

0522-2230578

www.vidyantcollegeonline.org | www.vidyantcollege.org



संस्थापक प्रबन्धक

स्व० विक्टर नारायन विद्यान्त
एम० एससी०, एल० एल० बी०
भूतपूर्व अवै० मजिस्ट्रेट

श्री शिवाशीष घोष
प्रबन्धक

शिक्षकश्री प्रो० धर्म कौर
प्राचार्य

प्राविवरण पुस्तिका एवं प्रवेश आवेदन-पत्र

संस्थापक प्रबन्धक स्व० विक्टर नारायण विद्यान्त

विभूतियों का वर्गीकरण हम साधारण लोगों की बात नहीं फिर भी इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि संसार में विभूतियों के प्रमुख दो वर्ग पाये जाते हैं। पहले वर्ग में वे लोग आते हैं, जो कुछ भी क्यों न करें उसका प्रचार और प्रसार अविलम्ब चारों दिशाओं में फैल जाता है। दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो निर्जन एवं नीरवता में जन कल्याण में लिप्त होते हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात् नये लक्ष्यों के निर्धारण में समय नहीं लगाते और पुनः जनमानस के जीवन स्तर को अपनी अथक लगन, चेष्टा, उपलब्ध साधनों से परिपूर्णता की ओर अग्रसारित करते हैं। स्वर्णीय श्री विक्टर नारायण विद्यान्त इसी दूसरे वर्ग की विभूति थे। वे निर्धनों के साथ उनके सुख-दुःख से ओत-प्रोत होने में और अभागों के भाग्य निर्माण में आराधना और तप का आनन्द अनुभव करते थे।

लखनऊ शहर में स्वाधीनता आन्दोलन को बर्बर ब्रिटिश शासन द्वारा कुचला जा चुका था। समाज में नये समीकरणों की रचना हो रही थी, नयी बस्तियों को सजाया जा रहा था, रेलवे, पुलिस महकमों की स्थापना से न केवल राजनीतिक, सामाजिक बल्कि लखनऊ की आर्थिक गतिविधियाँ भी तीव्र होती जा रहीं थीं—कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी थी। अतः देश के कोने—कोने में प्रबुद्ध वर्ग की आपूर्ति इन्हीं मानव संसाधन केन्द्रों के द्वारा की जा रही थी। ऐसे समय में बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वानों का आगमन प्रारम्भ हुआ। चिकित्सा क्षेत्र में डा० नवीन मित्रा, डा० रामलाल चक्रवर्ती, वित्तीय विद्वान राजा दक्षिणारंजन मुखर्जी तथा इंजीनियरिंग, स्थापत्य कला क्षेत्र के विद्वान श्री रामगोपाल विद्यान्त इस शहर को चार चाँद लगाने बंगाल छोड़कर आ बसे। एक कहावत है बंगाली सदैव अपने साथ अपनी संस्कृति को ले जाता है। यह कहना समीचीन होगा कि श्रीराम गोपाल विद्यान्त ने उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नाटकों का मंचन प्रारम्भ किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी नाटकों का मंचन इनके बाद ही बनारस में प्रारम्भ किया था। श्री राम गोपाल विद्यान्त ने स्थानीय मकबूलगंज के प्रासाद तुल्य आवास में बंगला संस्कृति, नाटकों, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि का शुभारम्भ किया। यहाँ इनके आवास में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस अतिथि थे। इनके पुत्र श्री हरी प्रसाद विद्यान्त एवं इनके छोटे भाई स्थापत्य कला की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके थे। लखनऊ के चारबाग स्थित भव्य रेलवे स्टेशन, इमामबाड़े के पास विशालकाय गोमती नदी पर स्थित लाल पुल, हजरतगंज स्थित सेन्ट्रल बैंक तथा इलाहाबाद बैंक के रमणीय भवन विद्यान्त परिवार की स्थापत्य कला की अमूल्य रचनाओं के नमूने हैं। श्री हरी प्रसाद विद्यान्त ने इन तमाम कार्यों के चलते अगाध सम्पत्ति का अर्जन किया परन्तु जीवन के अन्तिम समय में उनको अपने पिता स्व० राम गोपाल जी के कहे अन्तिम शब्द याद आये—“बेटा, मैं बचपन में नदी तैर कर स्कूल जाया करता था, शायद आज भी बच्चों को यही कष्ट हो रहा होगा, हो सके तो बच्चों के लिए एक स्कूल बनवा देना।” श्री हरी प्रसाद जी अपने पिता से किये वादों को क्रियान्वित नहीं कर सके, अपने पुत्र रत्न श्री विक्टर नारायण विद्यान्त से केवल इन वाक्यों को कह कर इह लोक त्याग दिया।

विद्यान्त जी का जन्म ५ जनवरी, १८६५ को धनाद्य परिवार में हुआ। वह पिता एवं चाचा के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। वे बचपन से ही स्वावलम्बी तथा निर्भीक चरित्र के थे। इनका शैक्षिक प्रतिफल सदा प्रथम रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन् १८९८ में भौतिकशास्त्र में श्रेष्ठता सूची में द्वितीय स्थान पाकर उत्तीर्ण हुए। प्रयोगात्मक परीक्षा में वे प्रथम आये। श्रेष्ठता सूची में प्रथम आने वाले डा० बनर्जी उनके परम मित्र थे। बनर्जी महोदय ने जब कैन्टबरी विश्वविद्यालय से पीएच-डी० उपाधि प्राप्त कर ली, तब विद्यान्त जी ने उनको अपना वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया। स्व० विद्यान्त जी को उनके अंग्रेज गुरुवर इंग्लैण्ड ले जाना चाहते थे, परन्तु दो भाइयों के आँखों के एकमात्र तारे, ऊपर से प्रथम विश्वयुद्ध का तत्क्षण समाप्त होना उनके इस पुनीत कार्य में बाधक सिद्ध हुआ। दुःखी होकर विद्यान्त जी ने एल०एल०बी० की पढ़ाई प्रारम्भ की। विधि स्नातक के

साथ—साथ उन्होंने मॉरिस कॉलेज (वर्तमान भातखण्डे संगीत विश्वविद्यालय) से सितार में विशारद की शिक्षा भी ग्रहण की। समाज सेवा उनकी रग—रग में समायी हुई थी। समय बीतता गया, पर पिता के कहे शब्द, 'तुम्हारे दादा जी ने स्कूल खोलना चाहा था' सदैव उनके कानों में गूँजता रहा और कहीं देर न हो जाय यह सोचकर कतिपय साथियों पं० केशव नाथ मिश्र, श्री छैल बिहारी श्रीवास्तव, श्री जामिनी बाबू व श्री एच० एन० सेन आदि के साथ मिलकर उन्होंने वर्तमान विद्यान्त हिन्दू रकूल की स्थापना सन् १९३८ में की। यह प्रतिष्ठान १९४६ में इंटरमीडिएट तथा तत्कालीन उ०प्र० सरकार के मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त जी के सहयोग से सन् १९५४ में डिग्री (कला संकाय) स्तर को प्राप्त कर सका। विद्यान्त बाबू चुप बैठने वाले नहीं थे। स्त्री—शिक्षा के प्रारम्भकर्ताओं में उनकी गिनती होती है। अपने स्वर्गीय मौसा जी, श्री शशिभूषण के नाम से उन्होंने बालिकाओं के लिये लालकुआँ में एक शशि भूषण कॉलेज की स्थापना की। बनारस में ऐंगलो बंगाली कॉलेज, तथा रॉची में अस्पताल, बंगाल के कृष्ण नगर में एक विद्यालय, अल्मोड़ा के टी०बी० सेनेटोरियम की स्थापना का कृतित्व विद्यान्त बाबू के अर्थदान से ही परिपूर्ण होता रहा है। उनकी सेवाओं के सम्मान में ब्रिटिश सरकार ने उनको सम्मानित मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त किया। स्व० विद्यान्त जी का योगदान मात्र शिक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। अनाथ निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता, आवास, उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, लड़कियों के विवाह आदि के लिए उन्होंने मुक्त हृदय से धन व्यय किया। कभी वे चाँदी की छड़ी, सोने का चश्मा लगाये, लम्बी बड़ी सी विकटोरिया पर चढ़कर अदालत जाया करते थे, फिर विकटोरिया का स्थान ब्रिटिश मोटर—कार रोल्स रॉयल्स ने ले लिया पर एक दिन अचानक श्री रामकृष्ण मठ के स्वामी जी के साथ सभा की बैठक में उनको स्वामी विवेकानन्द के सर्वस्व त्याग की कहानी सुनायी दी, उन्होंने तुरन्त भौतिक सुखों को त्यागने का निर्णय ले लिया। मठ को दान में रोल्स रॉयल्स मोटर कार प्रदान किया, अपनी चल—अचल सम्पत्ति का ट्रस्ट बना दिया ताकि उनके मृत्योपरान्त जन सेवा कार्य चल सके। शिक्षा के साथ विद्यान्त जी का सांस्कृतिक जीवन भी अत्यन्त समृद्ध था। वे स्थानीय काली बाड़ी ट्रस्ट, बंगाली कलाब, श्री हरि सभा आदि से आजीवन जुड़े रहे तथा अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के सभापति भी चुने गये। शिक्षा क्षेत्र की विदुषी श्रीमती लीला विद्यान्त से विवाह के पश्चात इस दम्पति को सामाजिक कार्यों के प्रति और अधिक संलग्न होने का अवसर प्राप्त हुआ। सन् १९३८ में इस महाविद्यालय प्रांगण में उन्होंने माँ दुर्गा की अराधना को स्थाई रूप प्रदान किया, जिसका संचालन महाविद्यालय के निर्वत्तमान प्रबन्धक श्री तारु सेन की देखरेख में होता रहा अपने जीवन काल में श्री विद्यान्त जी प्रायः कहा करते थे कि मैंने तो दादा जी की इच्छा की पूर्ति करने की चेष्टा की, यह तब परिपूर्ण होगी जब स्नातकोत्तर कक्षाएं भी यहीं से संचालित होंगी। ऐसी इच्छा उनकी धर्म पत्नी स्व० श्रीमती लीला विद्यान्त जी की भी थी। वे शशिभूषण बालिका महाविद्यालय की प्राचार्य थीं। वह सेवा निवृत्ति के बाद ट्रस्टी एवं प्रबन्धक के रूप में कई बार विद्यान्त जी की स्नातकोत्तर कक्षाओं के शुभारम्भ की इच्छा को दोहरा चुकी थीं। सन् १९६३ में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रारम्भ के लिए आवश्यक कार्यवाही का शुभारम्भ भी हुआ, परन्तु विद्यान्त दम्पति के जीवन काल में यह पुनीत कार्य जीवन्त रूप में परिलक्षित न हो सका किन्तु उनकी यह अभिलाषा तत्कालीन प्रबन्धक स्व० तारुसेन जी के अथक परिश्रम से सन् २००६—०७ में एम० काम० तथा एम० ए० (आधुनिक इतिहास) के रूप में परिपूर्ण हुई और आज महाविद्यालय परास्नातक महाविद्यालय के रूप में आपके सामने है। विद्यान्त जी जीवन के संध्या काल में भी नित्य—प्रति अपने कार्यालय में उपस्थित होते थे। इस समय तक उनकी अवस्था के लगभग ६० वर्षन्त पार हो चुके थे, परन्तु नियति की इच्छा के चलते ४ अगस्त, १९८४ को इस महान विभूति ने सदा के लिए अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। तदोपरान्त २०१३—१४ से २०१६ तक वर्तमान प्रबन्धक श्री शिवाशीष घोष एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों की कर्तव्यनिष्ठा एवं लगन से आज महाविद्यालय चरमोत्कर्ष पर विराजमान है।

संकल्प

शिवाशीष घोष
प्रबन्धक
विद्यान्त हिन्दू पी०जी० कॉलेज

श्री विक्टर नारायण विद्यान्त द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यान्त हिन्दू पी.जी. कॉलेज, लखनऊ के प्रबन्धन का गुरुतर दायित्व मुझे सौंपा गया है। वास्तव में इसका सर्वांगीण विकास करना ही मेरी निष्ठा, लगन एवं कार्यकुशलता की अग्रिम परीक्षा है। अस्तु इस आशय को ध्येयगत रखते हुए, महाविद्यालय के सम्पूर्ण भवन की मरम्मत रंगाई-पुताई एवं साज-सज्जा का कार्य करवाया जा चुका है, जो महाविद्यालय प्रांगण में प्रवेश करते ही दृष्टिगत होने लगता है। विवेकानन्द हॉल की सम्पूर्ण साज-सज्जा व्यवस्थित करा दी गई है। महाविद्यालय के कक्ष -11 के पीछे 1100 वर्गफुट भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर, बी.काम. एवं एम.काम. की कक्षाओं के संचालन हेतु दो अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करा दिया गया है। इसी तारतम्य में वाणिज्य संकाय के पीछे 1300 वर्गफुट भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है तथा उस पर दो शिक्षण कक्षों का निर्माण करा दिया गया है। तदोपरान्त पी.जी. कक्षायें चल रही हैं।

महाविद्यालय के पुस्तकालय भवन का विस्तार, मरम्मत एवं साज-सज्जा सहित अनेक स्तरीय पुस्तकों, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की नियमित व्यवस्था कर दी गयी है, जिससे प्राध्यापकों सहित छात्र एवं छात्राओं को ज्ञान-लाभ प्राप्त हो रहा है। स्नातकोत्तर स्तर पर विषयवार विभागीय कक्षों का निर्माण करा दिया गया है तदनुसार अध्यापन कार्य भी संचालित हो रहा है। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए पारम्परिक शिक्षण के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों पर भी बल दिया जा रहा है। इस आशय के परिप्रेक्ष्य में अनेक सांस्कृतिक कायक्रमों का, विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन कराया जाता है तथा वार्षिक खेल-कूद समारोह में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा-योजना द्वारा शिविरों सहित, मतदान जागरूकता, एड्स जागरूकता, रक्तदान, नुकङ्ग नाटक आदि का आयोजन कराया जाता है।

राज्य एवं राष्ट्र स्तर की सामाजिक एवं शैक्षिक समस्याओं को प्रकाश में लाने तथा उनके समाधान के उपायों की खोज के लिए विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों, परिचर्चाओं सहित एकल व्याख्यानों का भी आयोजन कराया जा रहा है, जिससे लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारत का बुद्धिजीवी समाज लाभान्वित हो रहा है।

शैक्षिक वातावरण एवं गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए रिक्त पदों पर सुयोग्य प्राध्यापकों की व्यवस्था कर दी गयी है तथा छात्र-छात्राओं की नियमित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाविद्यालय भवन में सी.सी.टी.वी. कैमरे, इन्टरकॉम सहित प्राचार्य कक्ष को वातानुकूलित करा दिया गया है।

सभी सम्बन्धित पक्षों के सकारात्मक सहयोग से महाविद्यालय का सर्वांगीण विकास करते हुए इसे एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्था के रूप में विकसित करना हमारा ध्येय है।

महाविद्यालय के आचार्यगण

प्रो० धर्म कौर

प्राचार्य

कला संकाय

हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग

डॉ० बृजेश कुमार श्रीवास्तव

(सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)

डॉ० (श्रीमती) सुरभि शुक्ला (सह-आचार्य)

डॉ० श्रवण कुमार गुप्ता (सह-आचार्य)

अंगेजी विभाग

डॉ० (श्रीमती) ममता बाजपेयी

(सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)

श्रीमती शिल्पी चौधरी (सह-आचार्य)

रिक्त

राजनीतिशास्त्र विभाग

डॉ० (कु) प्रभा गौतम

(सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)

डॉ० (श्रीमती) अर्शा परवीन (सह-आचार्य)

डॉ० बृजेन्द्र पाण्डेय (सह-आचार्य)

डॉ० दिलीप अग्निहोत्री (सह-आचार्य)

समाजशास्त्र विभाग

श्री विजय कुमार

(सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)

डॉ० डी० के० त्रिपाठी (सह-आचार्य)

रिक्त

रिक्त

अर्थशास्त्र विभाग

डॉ० ममता रानी भट्टनागर (सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)

श्री मनीष श्रीवास्तव (सह-आचार्य)

रिक्त

अरब संस्कृति विभाग

रिक्त

मानवशास्त्र विभाग

डॉ० (श्रीमती) नीतू सिंह

(सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)

संस्कृत विभाग

रिक्त

रिक्त

उर्दू विभाग

रिक्त

शिक्षाशास्त्र विभाग

डॉ० (श्रीमती) एस० तड़ागी

(सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)

श्री जितेन्द्र कुमार पाल (सहायक आचार्य)

श्री संजय यादव (सहायक आचार्य)

समाजकार्य विभाग

मो० शहादत हुसैन (सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)

रिक्त

प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग

डॉ० आलोक भारद्वाज

(सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)

डॉ० नरेन्द्र सिंह (सहायक आचार्य)

आधुनिक इतिहास एवं एशियन संस्कृति विभाग

डॉ० अमित वर्धन (सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)

डॉ० (श्रीमती) ऊषा देवी (सह-आचार्य)

श्री बृजभूषण यादव (सहायक आचार्य)

रिक्त

आधुनिक इतिहास (एम.ए.) रघवित्त पोषित

डॉ० अग्नित श्रीवास्तव (सहायक आचार्य पूर्णकालिक)

डॉ० राकेश कुमार (सहायक आचार्य पूर्णकालिक)

शारीरिक शिक्षा विभाग

डॉ० रमेश कुमार यादव
(सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)
वाणिज्य संकाय
डॉ० राजीव शुक्ल
(सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)
डॉ० समीर कुमार (सह-आचार्य)
डॉ० शशि कान्त त्रिपाठी (सह-आचार्य)
डॉ० मो० हनीफ (सह-आचार्य)
डा० अभिषेक कुमार (सहायक आचार्य)
श्री राजकमल (सह-आचार्य)
रिक्त

एम.कॉम. स्ववित्त पोषित

डॉ० गीतेश कुमार गुप्ता (सहायक आचार्य, पूर्णकालिक)
रिक्त

बी.कॉम. स्ववित्त पोषित

डॉ० शान्तनु कुमार श्रीवास्तव (सहायक आचार्य, पूर्णकालिक)
डॉ० कुमार कौटिल्य (सहायक आचार्य, पूर्णकालिक)

रिक्त

व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग

डॉ० दीप किशोर श्रीवास्तव
(सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष)
श्री दिनेश कुमार मौर्य (सहायक आचार्य)

प्रबन्ध - समिति

श्री गोपाल कृष्ण चक्रवर्ती - अध्यक्ष
श्री शतदल मित्रा- उपाध्यक्ष
श्री शिवाशीष घोष - प्रबन्धक
श्री पंकज भट्टाचार्या - उप प्रबन्धक
श्री अरूप सान्याल - सदस्य
श्री गौतम सेन गुप्ता - सदस्य
श्री सतवीर सरकार - सदस्य
श्री सुनील दत्ता - सदस्य
श्री संदीप मोहन्तो- सदस्य
डॉ० रितु घोष - सदस्य
डॉ० सुमिता दत्ता - सदस्य
प्रो०, (श्रीमती) धर्म कौर - प्राचार्य, पदेन सदस्य

कार्यालय संवर्ग

कार्यालय अधीक्षक, रिक्त
पुस्तकालय अध्यक्ष, रिक्त
वरिष्ठ सहायक, रिक्त
सहायक लेखाकार, रिक्त
श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव (आशु-लिपिक)
श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्र (कार्यालय सहायक)
श्री मनोहर लाल यादव (कार्यालय सहायक)
श्री राजेश कुमार मिश्र (कार्यालय सहायक)
श्री आलोक शर्मा (प्रयोगशाला सहायक मानवशास्त्र)
श्री रंजीत सिंह (प्रयोगशाला परिचर, शिक्षाशास्त्र)
प्रयोगशाला सहायक, रिक्त

चतुर्थ श्रेणी

श्री सुशील कुमार
श्री चन्द्रशेखर
श्री अखिलेश कुमार वर्मा
श्री अमित कुमार यादव
श्री विनय कुमार शुक्ल
श्री राजेश कुमार यादव
श्रीमती माया देवी
श्री भीम बहादुर
श्री श्रवण कुमार
श्री मुकेश कुमार
श्रीमती विमला (सफाई कर्मचारी)
रिक्त
रिक्त
रिक्त
रिक्त

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

(समस्त पाठ्यक्रमों में सह-शिक्षा (CO-EDUCATION) उपलब्ध है)

1. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्तांकों से बनी मेरिट सूची के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र स्पष्ट अक्षरों में भरा जाना आवश्यक है। प्रवेश से सम्बन्धित समस्त जानकारी सूचना पट्ट पर चस्पा की जायेगी।
2. आवेदन पत्र में वांछित सूचनायें प्रवेशार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना एवं प्रवेश के समय प्रवेशार्थी की व्यक्तिगत उपस्थित आवश्यक है।
3. आवेदन पत्र पर पासपोर्ट आकार का स्वयं प्रमाणित फोटो लगाना आवश्यक है, चश्मा लगाकर खिंचवाया गया फोटो स्वीकार्य नहीं होगा।
4. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की अंक-तालिकाओं की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ एवं अंतिम संस्थान से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा जिसकी मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करनी होगी।
5. आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं, संलग्न प्रमाण-पत्रों को आवश्यकतानुसार सत्यापित कराया जा सकता है, कोई भी सूचना गलत होने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं इसका दायित्व संबंधित विद्यार्थी का होगा।
6. प्रवेश होने के उपरान्त लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर परीक्षा फार्म भरकर सत्यापित अंक तालिका एवं इनरोलमेण्ट फार्म पर टी० सी०/केन्द्र प्रमाण-पत्र (मूल प्रति) लगाकर अविलम्ब कैशियर के पास जमा करना होगा।
7. बी.काम में प्रवेश हेतु अभ्यार्थियों को निम्नलिखित में से एक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
 - (क) इण्टरमीडिएट परीक्षा वाणिज्य वर्ग
 - (ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा कला वर्ग, गणित विषय के साथ
 - (ग) इण्टरमीडिएट परीक्षा कला वर्ग, अर्थशास्त्र विषय के साथ
 - (घ) इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान वर्ग, गणित विषय के साथ
 - (य) इण्टरमीडिएट परीक्षा में कम से कम 100 अंक की गणित अथवा अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
8. जिन अभ्यार्थियों ने इण्टरमीडिएट परीक्षा केवल जीवन विज्ञान से उत्तीर्ण की है उन्हें बी.काम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी मानवशास्त्र विषय लेकर बी०ए० में प्रवेश ले सकते हैं।
9. कला संकाय में विषयों का संयोजन निम्न प्रकार है :—

समूह (अ)	समूह (ब)
अंग्रेजी	अर्थशास्त्र
हिन्दी	राजनीतिशास्त्र
उर्दू	समाजशास्त्र/समाज कार्य
संस्कृत	शिक्षाशास्त्र/मानवशास्त्र
प्रा.भा.इतिहास/ इतिहास/	शारीरिक शिक्षा
अरब संस्कृति/ एशियाई संस्कृति	

- अ अभ्यर्थियों का समूह (अ) तथा समूह (ब) में उल्लिखित विषयों में से कम से कम एक विषय का चयन करते हुए दो MAJOR तथा एक MINOR विषय का चयन करना होगा। MAJOR 1 का अध्यन 3-4 वर्ष, MAJOR 2 का अध्यन 3 वर्ष तथा MINOR का अध्ययन दो वर्ष के लिए करना होगा। इसके अतिरिक्त बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में उन्हें INTRODUCTION TO GENDER STUDIES की पढ़ाई भी CO-CURRICULAR विषय के रूप में करनी होगी।
- ब MAJOR विषयों में दो-दो तथा MINOR व CO-CURRICULAR में एक-एक प्रश्न-पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न-पत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें 75 अंक की THEORY तथा 25 अंक का आंतरिकत मूल्यांकन होगा।
- स समूह अ में प्राचीन भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास, अरब संस्कृति तथा एशियाई संस्कृति में से केवल एक विषय का ही चयन किया जा सकता है।

- इसी प्रकार समूह (ब) में समाजशास्त्र, समाज कार्य तथा मानवशास्त्र में से केवल एक विषय का ही चयन किया जा सकता है।
- द प्रवेश काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को विषय-आवंटन उसकी मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
- (A) परास्नातक (एम.ए. इतिहास तथा एम.कॉम) में प्रवेश स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बनी मेरिट सूची के आधार पर किया जायेगा।
- (B) इसी प्रकार परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ तथा अंतिम संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छाया पगति संलग्न करना होगा, जिसकी मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करनी होगी।
11. एम.ए. इतिहास में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रतिशत का प्रावधान निम्नवत होगा।
- (A) इतिहास विषय का स्नातक स्तर पर 3 वर्ष तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए 45 प्रतिशत।
- (B) इतिहास विषय का स्नातक स्तर पर 2 वर्ष तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए 55 प्रतिशत।
- (C) स्नातक स्तर पर इतिहास विषय का अध्ययन न करने वाले विद्यार्थियों के लिए 60 प्रतिशत।
- (D) अनुसूचित जाति/जन जाति के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
12. एम.कॉम में प्रवेश हेतु बी.कॉम में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा। अनुसूचित जाति/जन जाति के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
13. प्रवेश सूची में घोषित समयावधि के अन्तर्गत संलग्न प्रमाण-पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कराकर निर्धारित शुल्क महाविद्यालय में जमा कर देने पर ही प्रवेश पूर्ण माना जायेगा। समयावधि समाप्त होने के उपरान्त प्रवेश देने पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र महाविद्यालय में जमा किया जायेंगे। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
15. सभी कक्षाओं में प्रवेश आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होगा।

UNIVERSITY OF LUCKNOW

Bachelor of Commerce (B.Com.)

Regulations-2021

B.Com Semester-I

- P1. Financial Accounting
- P2. Business Organisation
- P3. Micro Economics
- P4. Currency Banking and Exchange
- P5. Essentials of Management
- P6. Co-curricular Course I

B.Com Semester-IV

- P19. Cost Accounting
- P20. Contemporary Audit
- P21. Foreign Trade of India
- P22. Macro Economics
- P23. Institutional Framework for Business
- P24. Vocational Course II

B.Com Semester-II

- P7. Corporate Accounting
- P8. Business Regulatory Framework
- P9. Public Finance
- P10. Business Communication
- P11. Selling and Advertising
- P12. Vocational Course I

B.Com Semester-V

- P25. Goods and Service Tax (GST)
- P26. Principles and Practice of Insurance
- P27. Introduction to Entrepreneurship
- P28. Managing Business Operations
- P29X. Company Law and Practice
- P29Y. Concepts of Valuation
- P30. Internship Project

B.Com Semester-III

- P13. Business Finance
- P14. Statistical Methods
- P15. Banking Operations
- P16. Managing Human Resources
- P17. Information Systems
And E-Business
- P18. Co-curricular Course II

B.Com Semester-VI

- P31. Income tax Law and Accounts
- P32. Principles and Practice of Marketing
- P33. Indian Economy
- P34. Applied Business Statistics
- P35X. Economics of Public Enterprises
- P35Y. Export Import Procedure
And Documentation
- P36. Minor Project

Specialisation in Commerce

B.Com Semester-VII

- P37. Accounting for Managers
- P38. Financial Planning
- P39. Rural Marketing
- P40X. Labour Welfare Laws
- P40Y. Legal Environment of Business
- P41X. Financial Institutions and Markets
- P41Y. Essentials of E-commerce
- P42. Research Methodology

B.Com Semester-VIII

- P43 Major Research Project
(24 Credits)

Specialisation in Applied Economics

B.Com Semester-VII

- P37. Advanced Economic Analysis
- P38. Accounting for Financial Decisions
- P39. Demography and Population Studies
- P40X. Foreign Exchange Management
- P40Y. Industrial Economics
- P41X. Rural Economics
- P41Y. Environment and Resource Economics
- P42. Research Methodology

B.Com Semester-VIII

- P43 Major Research Project
(24 Credits)

MASTER OF COMMERCE (M.COM.)

Two Year Programme (Four Semesters)

Course Structure

The course structure of the Master in Commerce (M.Com.) programme shall be as under :

SEMESTERS-I

Paper Code	Name of Paper	Credit	Remarks
MCCC-101	Accounting Theory & Practice	4	Core Course
MCCC-102	Working Capital Management	4	Core Course
MCCC-103	Direct Tax Law & Accounts	4	Core Course
MCCC-104	Indian and Global Business Environment	4	Core Course
MCCC-105	Marketing Management	4	Core Course
MCVC-101	Business Ethics and Corporate Governance	4	Value added Course (Credited)
	Total	24	

SEMESTERS-II

Paper Code	Name of Paper	Credit	Remarks
MCCC-201	Accounting For Business Decisions	4	Core Course
MCCC-202	Indirect Tax Laws & Account	4	Core Course
MCCC-203	Labour Legislation	4	Core Course
MCCC-204	Business Analysis and Forecasting	4	Core Course
MCCC-205	Financial Management	4	Core Course
MCCC-206	Entrepreneurship Development	4	Core Course
MCVC-201	Foreign Language – French or Yoga	0	Value added Course (Credited)
	Total	24	

SEMESTER III

Paper Code	Name of Paper	Credit	Remarks
MCCC-301	Corporate Accounting	4	Core Course
MCCC-302	Human Resource Management/ MOOC'S	4	Core Course

Choose any One Group*

MCEL-301 A	Strategic Cost Accounting	4	Elective	Group A
MCEL-302 A	Specialized Accounting	4	Elective	

MCEL-301B	Customer Relationship Management	4	Elective	Group B
MCEL-302B	Digital Marketing	4	Elective	

MCEL-301C	Labour Welfare and Social Security	4	Elective	Group C
MCEL-302C	Organisational Behaviour	4	Elective	

MCIN-301	Summer Internship	4	Summer Internship
MCIER-301	Fundamentals of Accounting and Taxation	4	Inter Departmental
	Total	24	

*The group opted by student in Semester III will continue in Semester IV

SEMESTER IV

Paper Code	Name of Paper	Credit	Remarks
MCCC-401	Forensic Accounting and Fraud Examination	4	Core Course

Choose any One Group

MCEL-401A	Business Research Methodology	4	Elective	Group A
MCEL-402A	Security Analysis and Portfolio Management	4	Elective	

MCEL-401B	Services Marketing	4	Elective	Group B
MCEL-402B	Sales and Distribution Management	4	Elective	

MCEL-401C	Industrial Psychology	4	Elective	Group C
MCEL-402C	Management of Small Business	4	Elective	

MCMT-401	Master Dissertation & Viva-voce	8	Master Thesis
MCIRA-401	Indian Financial System	4	Intra Departmental
	Total	24	
	Grand Total (Sem. I to IV)	96	

MC- M.Com.; MCCC – Core Course; MVC – Value added course (Credited); MCVNC – Value added course (Non Credited); MCEL – Elective; MCIER – Interdepartmental Course; MCIRA – Intradepartmental Course

विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों की संख्या

बी० ए०	670
बी० काम०	320
बी० काम० स्ववित्तपोषित	120
एम० काम० स्ववित्तपोषित	120
एम० ए० स्ववित्तपोषित	60

: शुल्क का विवरण :

बी.कॉम.

छात्रों हेतु बी.काम. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पे—आर्डर/बैंक ड्राफ्ट धनराशि **5370/-** (पाँच हजार तीन सौ सत्तर रुपये) एवं छात्राओं हेतु बी.काम. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पे—आर्डर/बैंक ड्राफ्ट धनराशि **5226/-** (पाँच हजार दो सौ छब्बीस रुपये) जमा करना होगा।

बी.ए.

छात्रों हेतु बी.ए. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पे—आर्डर/बैंक ड्राफ्ट धनराशि **4370/-** (चार हजार तीन सौ सत्तर रुपये) एवं छात्राओं हेतु बी.ए. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पे—आर्डर/बैंक ड्राफ्ट धनराशि **4226/-** (चार हजार दो सौ छब्बीस रुपये) जमा करना होगा।

प्रवेश शुल्क

एम०ए० (आधुनिक इतिहास)	6000/-	प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क सहित
एम०काम०	12500/-	प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क सहित

अन्य विश्वविद्यालयों से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को नामांकन शुल्क (इनरोलमेण्ट फीस) रु. **500/-** अतिरिक्त जमा करना होगा।

महाविद्यालय की निर्देशिका एवं प्रवेश आवेदन सम्बन्धित निर्देश महाविद्यालय की वेब साइट

www.vidyantcollegeonline.org एवं **www.vidyantcollege.org** पर भी उपलब्ध है।

अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेब साइट पर जाकर रु० 700/- जमा कर फार्म डाउनलोड कर उसकी प्रति महाविद्यालय में जमा करें।

आरक्षण एवं भारण

इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत में भारण निम्न रूप में देय होगा।

उद्धार्धर आरक्षण एवं भारांक

- (अ) उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाणपत्र (राष्ट्रीय स्तर) 2.5 प्रतिशत
(ब) एन०सी०सी० 'बी' / सी प्रमाणपत्र 2.5 प्रतिशत

क्षैतिज आरक्षण

- (अ) अनुसूचित जाति अधिकतम आरक्षण 21 प्रतिशत
(ब) अनुसूचित जनजाति अधिकतम आरक्षण 2 प्रतिशत
(स) अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकतम आरक्षण 27 प्रतिशत
(द) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
(केवल सामान्य श्रेणी हेतु)

आन्तरिक आरक्षण

- (अ) लखनऊ विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी, अधिकतम आरक्षण 10 प्रतिशत। (प्रवेश के नियमानुसार)
(ब) विकलांगों के लिए 2 प्रतिशत।
(स) स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र/पुत्री/पौत्र अविवाहित पौत्री के लिए 2 प्रतिशत।
(द) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिए 1 प्रतिशत।
1. अभ्यर्थी उपर्युक्त भारण एवं आरक्षण श्रेणियों में से केवल एक ही श्रेणी का लाभ ले सकता है भारण अधिकार रूप नहीं मांगा जा सकता है। इसका अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी की संस्तुति पर प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।
 2. उपर्युक्त भारण एवं आरक्षण लाभ पाने के लिए अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा आवेदन पत्र सामान्य वर्ग के लिए मान्य होगा।
 3. यदि कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र जमा करते समय आरक्षण/भारण की मांग नहीं करता है तो बाद में इस दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
ऐसे खिलाड़ी जिनके पास राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर खेलने का प्रमाण हो

1— उत्कृष्ट खिलाड़ी	लखनऊ विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर एथलेटिक एसोसियेशन
2— विकलांग	जनपद के मुख्य विकित्सा अधिकारी
3— स्वतंत्रता सेनानी	जिलाधिकारी
4— एन.सी.सी. बी प्रमाणपत्र	संक्षम अधिकारी
5— अनुसूचित जाति	तहसीलदार/अन्य संक्षम अधिकारी
6— अनुसूचित जनजाति	तहसीलदार/अन्य संक्षम अधिकारी
7— अन्य पिछड़ा वर्ग उपजिलाधिकारी/तहसीलदार का प्रमाण-पत्र।	
8— विश्वविद्यालय के शिक्षक अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के लिए संबंधित अधिष्ठाता/सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का प्रमाणपत्र।	

ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने जनपद में चयन के पश्चात क्षेत्रीय टीम की ओर से अन्तरक्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में पिछले दो वर्षों में भाग लिया है, डी० आई० ओ० एस०/आर० एस० औ०/डी० एस० ओ० द्वारा दिये गये मूल प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। अथवा ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय अथवा अन्तर-प्रदेशीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो तथा ये प्रतियोगितायें मान्यता प्राप्त हों, प्रदेशीय खेलकूद संस्थाओं द्वारा दिये गये मूल प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

आवश्यक निर्देश

1. लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 7406-7655 दिनांक 26/3/2010 के द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा, मध्यमा एवं अन्य उच्चतर परीक्षाओं की माध्यमिक शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा संचालित हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं से समतुल्यता को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा नियम विरुद्ध होने के कारण प्रवेश में रोक लगा दी है।
2. एक ही कक्षा में लगातार दो वर्षों तक निरन्तर नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. एक संकाय से दूसरे संकाय में स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध यदि किसी आपराधिक मामले की प्राथमिकी दर्ज है और वह इस तथ्य को छिपाकर प्रवेश ले लेता है तो इसका संज्ञान होने पर उसका प्रवेश शून्य व अकृत माना जायेगा।
5. यदि विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय के शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा पहुँचाई जाती है या महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो महाविद्यालय प्रशासन नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा।
6. महाविद्यालय परिसर में किसी भी रूप में रैगिंग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पर कठोर कार्यवाही की संस्तुति प्रदान की हैं यदि कोई भी विद्यार्थी रैगिंग में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

- 7 . प्रवेश के समय अस्थर्थी का व्यक्तिगत रूप में साक्षात्कार हेतु उपस्थिति अनिवार्य है। अस्थर्थी के प्रवेश समिति के सम्मुख उपस्थित हुए बिना प्रवेश सम्भव नहीं होगा ।
- 8 . स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अनिवार्य है कि अस्थर्थी उम्प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा 10+2 स्तर पर सभी विषयों के पूर्ण योग के कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हुए हों। अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अस्थर्थियों के लिए न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक एवं शेष सभी के लिए 40 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।
- 9 . किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र अगले सत्र में संस्थागत छात्र नहीं हो सकेगा। केवल उसे एकजेम्पटेड परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।
10. बी०ए० प्रथम सेमेस्टर में हिन्दी, समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र विषयों में प्रत्येक में अधिकतम 400 छात्रों के प्रवेश की अनुमति होगी।

सहगामी कार्यकलाप

खेलकूद

शारीरिक एवं चारित्रिक गठन हेतु महाविद्यालय में क्रीड़ा आदि का यथासंभव समुचित प्रबन्ध है। अधिक से अधिक छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेकर इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। खिलाड़ियों का आचरण क्रीड़ा स्थल तथा अन्य स्थलों पर उच्चकोटि का होना आवश्यक है।

पत्रिका

महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है इसमें विद्यार्थियों से विभिन्न विषयों पर रचनायें आमंत्रित की जाती हैं।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों की महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हैं। जिनका लाभ विद्यार्थी नियमानुसार आचार्यों के सहयोग से प्राप्त कर सकते हैं।

एन० एस० एस० (राष्ट्रीय सेवा योजना)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की चार इकाइयां कार्यरत हैं। विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थियों को कार्यक्रम अधिकारियों से सम्पर्क करना होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना के निर्देशों के अनुरूप सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं के छात्रों के लिए किया जाता है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार ने प्रौढ़ों को शिक्षित करने, उनको समाज की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहने तथा शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का संकल्प लिया है। इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों द्वारा सतत शिक्षा, जन-शिक्षण और पापुलेशन एजुकेशन, एड्स जागरूकता, प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

प्रो० (श्रीमती) धर्म कौर

प्राचार्य

एम०ए०, एम०फिल०, पी-एच०डी०